

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या- 121/V-2-2017-79(आ0)2016

देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2017

कार्यालय आदेश

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 दिनांक 01 मई, 2016 से प्रभावी हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा-84 के अन्तर्गत अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु नियमावली तैयार किये जाने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) श्री एस0 के0 पन्त, मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- (2) श्री नत्था सिंह रावत, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- (3) श्री अमित चौधरी, अधिवक्ता, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2- उक्त समिति द्वारा Draft नियमावली तैयार कर 15 दिनों के भीतर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या- 121 /V-2-2017-79(आ0)2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री एस0 के0 पन्त, मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 2- श्री नत्था सिंह रावत, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 3- श्री अमित चौधरी, अधिवक्ता, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

S. Joshi
23/2/17
SF

618
23-2-17